2026:RJ-JP:30198

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8758/2026
CNR: RJHC010604542026
URN: CRLMB / 19039U / 2026

Dinesh S/o Kishori Lal @kishore Ram, Aged About 19 Years, Resident Of Rohini Police Station Sribalaji District Nagaur. (At Present Lodged In District Jail ,nagaur)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. Jagdish Ram S/o Kana Ram, Resident Of Gaourera,p.s.sribalaji District Nagaur

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Lal Singh Rathore
For Respondent(s)	:	Ms. Sonu Manawat, PP Mr. Chetan Singh Bhati

---

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

08/07/2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना **श्रीबालाजी, जिला नागौर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **22/2026**, अपराध अन्तर्गत धारा **137(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 11/12 पोक्सो अधिनियम** भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि इस मामले में दिनेश पर गलत काम करने का आरोप नहीं लगाया गया है। दिनेश पर मोटरसाईकल पर छोड़कर चले जाने का आरोप लगाया है। आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 15.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावलीका अवलोकन किया। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 15.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में होना बताया गया है। आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **दिनेश पुत्र किशोरीलाल उर्फ किशोर राम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास—पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

48/SN Lohra/336